पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 263/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 25.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01.थाना- कोतवालीः चोरी गये ई-रिक्शा व 10 बैट्री (कीमत लगभग 02 लाख रूपये) के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत करना है कि दिनांक- 23.08.2024 को वादी मुकदमा रिजवान पुत्र अब्दुल्लाह कुरैशी निवासी जालन्धरी थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की ई रिक्शा वाहन संख्या UP50DT9897 है जो 21/8/2024 को 10 बजे रात को रोडवेज से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 469/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 24.8.24 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त 1. सोनू उर्फ इमरान पुत्र स्व0 जमशेद अहमद साकिन ब्लाक नं0 23 कमरा नं0 265 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष, 2. जाहिद पुत्र स्व0 आमीर साकिन ब्लाक नं0 24 कमरा नं0 282 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, 3. गोविन्द कुमार उर्फ मंगल प्रसाद पुत्र स्व0 शंकर प्रसाद साकिन म0न0 86 पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को एक ई - रिक्शा रजि0न0 UP50DT9897 व 3 बैट्री व 07 अन्य चोरी की बैटरी के साथ पुरानी जेल के पास कुड़ा डम्पिक यार्ट व पाण्डेय बाजार से समय 20.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों कका चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः-

1. सोनू उर्फ इमरान पुत्र स्व0 जमशेद अहमद साकिन ब्लाक नं0 23 कमरा नं0 265 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष,
2. जाहिद पुत्र स्व0 आमीर साकिन ब्लाक नं0 24 कमरा नं0 282 काशीराम आवास डीएवी थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष,
3. गोविन्द कुमार उर्फ मंगल प्रसाद पुत्र स्व0 शंकर प्रसाद साकिन म0न0 86 पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 21.08.24 को रात्रि लगभग 10.00 बजे संजीवनी मेडिकल हाल के सामने से जो ई रिक्शा आप लोगो ने बरामद किया है उसे मै और जाहिद मिलकर चुराये थे और चुराकर पुरानी जेल के गेट के पास जहां नगर पालिका का कूड़ा डंप होता है वहीं छुपाये थे। हमदोनो ई रिक्शा को चोरी कर उसके पार्टस को अलग अलग कर बेच देते है इस ई रिक्शा की भी चारो बैटरी को निकालकर गोविन्द ठठेरा जो पाण्डेय बाजार में रहते है तथा अग्रसेन कन्या इण्टर कालेज के पास उनकी दुकान है उन्ही को बेच दिये है आप साथ चले तो ई रिक्शा की चारो बैटरी को दिलवा देंगे क्योंकि अभी तक गोविन्द ठठेरा ने गोविन्द ठठेरा ने रूपया भी नही दिया है एक बैटरी की कीमत 3000 रूपये तय थी गोविन्द चोरी की गयी बैटरी को खरीदने व बेचने का धंधा करता है उसके पास चोरी की औऱ भी बैटरी मिल जायेगी हम दोनो गोविन्द के कहने पर ही चोरी करते है तथा गोविन्द बैटरी बेच कर हमे पैसा देता है आज हम लोग चोरी किये गये ई रिक्शा के पार्ट्स को ले जाने के लिये आये थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

उत्तर प्रदेश पुलिस

02. थाना – अहरौला: चोरी गये पशु के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 23/08/2024 को वादिनी मुकदमा सर्मिला यादव पत्नी सर्वेस यादव ग्राम हांसापुर (खुर्द) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की भैस दरवाजा पर बंधी थी भैस को बिना बता अज्ञात 03 व्यक्तियो द्वारा चुराकर ले जाते की नियत से लेकर जाने लगे जब आवेदिका द्वारा देखा लिया गया तो भैस छोडकर भाग गये, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर पर मु0अ0सं0 369/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात बतफ्तीशी उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 24.08.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त इबरान पुत्र विनसरी निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को चोरी गये 02 भैसे (एक भैस व एक पडवा) के साथ समय 17.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दो और अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है, जिनके नाम क्रमशः 1. समीम पुत्र मकबुल निवासी रेडहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व 2. अफसाद पुत्र सगीर निवासी खजुरी डोमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना – रौनापार: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत करना है कि वादीनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 17.08.24 को समय करीब 10.00 बजे परिजनों के अनुपस्थिति में वादिनी की पुत्री उम्र 18 वर्ष को आरोपी सरवन प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 17.08.24 को मु0अ0सं0 341/2024 धारा 87 BNS बनाम सरवन प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसमे बाद विवेचना अपृहता की बरामदगी व अपृहता/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 व 183 BNSS व पीड़िता के जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 137(2) BNS व 3(2)V SC/ST ACT की बढोतरी करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-25.08.2024 को उ0नि0 शिवम मिश्र मय हमराह मुकदमा उपरोक्त मे नामित अभियुक्त सरवन प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर करखिया मोड़ से समय करीब 06.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04.थाना-रौनापार: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.05.24 को समय 13.00 बजे वादिनी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को ब्रम्हस्थान मन्दिर से सागर यादव पुत्र रामदरश यादव द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 21.05.24 को मु0अ0सं0 214/2024 धारा 363,366 भा.द.वि. बनाम सागर यादव पुत्र रामदरश यादव सा0 मार्हाकर्मनाथ पट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया। जिसमे अपृहता की बरामदगी दिनांक 25.08.24 को किया गया तथा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376(3) भादवि व ¾(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 25.08.2024 को व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त सागर यादव पुत्र रामदरश यादव सा0 मार्हाकर्मनाथ पट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को को भीमबर बाजार से समय करीब 08.10 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना- रानी की सराय: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 02 पशुतस्कर गिरफ्तार, भैस चोरी बिक्री के 6000 रूपया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह को सूचना मिली कि कोटिला तिराहे पर दो व्यक्ति खड़े हैं जो आये दिन भैंस, बकरी की चोरी करते हैं तथा उनके पास अवैध तमंचा कारतूस भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची और उपरोक्त दोनो व्यक्ति को समय करीब 12.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम सलमान पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी मेहियापार थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम अरमान पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी मेहियापार थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिनके कब्जे से देसी तमंचा 315 बोर व 1 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा दोनो के पास से भैस चोरी का 3000-3000 रूपये बरामद हुआ।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम लोग दिन मे भैस व बकरी को खरीदने की बात बताकर देखते है तथा रात्रि मे मौका पाकर भैस व बकरी चोरी कर लेते है और उसे बेच देते है। हम लोग थाना कन्धरापुर मे तीन दिन मे तीन भैस चोरी किये थे और बेच दिये थे जो पैसा मिला था उसे खर्च कर दिया तथा जो बचा था वही मिला है गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग / आपराधिक इतिहास

1- मु.अ.स. 246/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ़

2- मु.अ.स. 170 /24 धारा 379/ 411 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

3- मु.अ.स. 152 / 24 धारा 379/ 411 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

4- मु.अ.स. 166/24 धारा 380 /411 भादवि थाना कंधरापुर आजमगढ़

06.थाना कप्तानगंजः लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस से साथ गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूट की नकदी बरामद ।

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि वादी महेन्द्र कुमार पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम करुवा मुबारकपुर थाना कप्तानगंज जनपद ने थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 22.08.2024 को मंझारी से करूवा मुबारकपुर अपने बाइक से जा रहे थे कि असरफपुर गाँव में कचरा घर के पास समय करीब 4.30 बजे शाम आयुश यादव पुत्र चन्दु यादव निवास बेलापट्टी व राजा निषाद पुत्र रामप्यारे निषाद ग्राम लेदौरा द्वारा ओवर टेक करके वादी से मारपीट कर 4300 रूपया नगद व स्मार्ट वाच छीनने व मोबाइल छिनने का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 265/24 धारा 309(6) BNS बनाम आयुश यादव पुत्र चन्दु यादव निवास बेलापट्टी व राजा निषाद पुत्र रामप्यारे निषाद ग्राम लेदौरा के विरुद्ध दिनांक 23.08.24 को पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 24.08.24 को प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आयुश यादव उर्फ सप्पू पुत्र चंदू उर्फ चन्द्रभूषण ग्राम बालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष को 1. एक तमंचा .315 बोर व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर, 2.घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल न0 UP50 AJ5587 व 3. 1500 रुपया के साथ मेहमौनी सडक की तरफ नहर के पास से समय करीब 10.45 बजे सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0- 267/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0-110/2020 धारा 307,34,41,411 भा0द0वि0 थाना कप्तानगंज आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-265/2024 धारा-309(6) बीएनएस थाना कप्तानगंज आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 267/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज आजमगढ़